सुण्डाराम — बनवारीलाल 12/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12-12-19	पत्रावली पेश। वकील अपील पक्ष उप०। वकील अपीलांट रेस्पो. नं. 1, 12, 15 के नोटिस रजि. ए.डी. पेश करे। पेश करने पर नकल दे। पत्रावली वास्ते तामील 20-2-20 को पेश हो।	
22-1-20	पत्रावली आज पेश की गई। **पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।**	

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

NO X Bas.
22.1.2020